

## प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)

1. **उद्देश्य:** यह मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) 2016 के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कड़ाई से अनुपालन में टीएचडीसीआईएल की सभी परियोजनाओं/इकाइयों/कार्यालयों के भीतर प्लास्टिक कचरे के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई है। यह एसओपी प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन, पृथक्करण, भंडारण भूमिकाओं और प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करती है और निपटान, स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

2. **कार्यक्षेत्र:** यह एसओपी टीएचडीसीआईएल की सभी परियोजनाओं/इकाइयों/कार्यालयों पर व्यापक रूप से लागू है।

### 3. परिभाषाएँ:

**प्लास्टिक:** ऐसी सामग्री जिसमें उच्च पॉलिमर जैसे पॉलीइथाइलीन टैरेफ्थैलेट, उच्च-घनत्व पॉलीइथाइलीन, विनाइल, कम-घनत्व पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइन रेजिन और एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन, पॉलीफेनिलीन ऑक्साइड, पॉली कार्बोनेट, पॉलीब्यूटिलीन टैरेफ्थैलेट जैसी बहु-सामग्री शामिल होती है।

**प्लास्टिक अपशिष्ट:** उपयोग के बाद या उद्देशित उपयोग समाप्त होने के बाद फेंक दिया गया कोई भी प्लास्टिक।

**अपशिष्ट जनरेटर:** कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, या संस्था, जिसमें आवासीय और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, भारतीय रेलवे, हवाई अड्डे, पत्तन एवं बंदरगाह, और प्लास्टिक कचरा पैदा करने वाले रक्षा प्रतिष्ठान शामिल हैं।

**संस्थागत अपशिष्ट जनरेटर:** केंद्र सरकार के विभाग, राज्य सरकार के विभाग, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की कंपनियां, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, होटल, रेस्तरां, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे संस्थागत भवनों के मालिक।

### 4. अपशिष्ट जनरेटर (यानी टीएचडीसीआईएल) के दायित्व:

**प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करें:** टीएचडीसीआईएल प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करने के उपाय अपनाएगा।

**स्रोत पर पृथक्करण:** टीएचडीसीआईएल को 2016 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों या उसके बाद के संशोधनों के अनुसार प्लास्टिक कचरे को स्रोत पर ही अलग करना होगा।

**गंदगी न फैलाना:** टीएचडीसीआईएल को प्लास्टिक कचरा फैलाने से बचना होगा और स्रोत पर कचरे का अलग-अलग भंडारण सुनिश्चित करना होगा।

**अधिकृत एजेंसियों को सौंपना:** टीएचडीसीआईएल जिम्मेदारी से अलग किए गए प्लास्टिक कचरे को शहरी स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, पंजीकृत कचरा बीनने वालों, पंजीकृत रिसाइक्लर्स, अधिकृत कचरा संग्रहण एजेंसियों, अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसियों, प्रसंस्करण या निपटान सुविधाओं या जमाव केंद्रों को सीधे या अधिकृत कचरे के माध्यम से सौंप देगा।

## 6. प्रशिक्षण और जागरूकता:

टीएचडीसीआईएल प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल कर्मचारियों और हितधारकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण में उचित पृथक्करण, भंडारण और निपटान प्रक्रियाएं शामिल होंगी।

## 7. अनुपालन और निगरानी:

टीएचडीसीआईएल इस एसओपी के अनुपालन की सख्ती से निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर ऑडिट करेगा कि सभी इकाइयां 2016 के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन करें। गैर-अनुपालन के कारण उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई या जुर्माना हो सकता है।

**8. समीक्षा और संशोधन:** इस एसओपी की वार्षिक या आवश्यकतानुसार समीक्षा की जाएगी ताकि इसकी प्रभावशीलता और पर्यावरणीय नियमों के साथ संरेखण सुनिश्चित किया जा सके।

## 9. सतत सुधार:

टीएचडीसीआईएल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का लगातार मूल्यांकन और सुधार करेगा।

**परिशिष्ट: दायित्व और समयरेखा**

क्रमांक	दायित्व	संबंधित विभाग	नियोजित तारीख
01	सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए परियोजना स्थल पर एक अनुस्मारक पत्र भेजें।	कॉर्पोरेट पर्यावरण विभाग : टीएचडीसीआईएल-नोडल विभाग	रिपोर्टिंग तिमाही के अगले माह का अगला कार्य दिवस
02	मानव संसाधन/सेवा/स्टोर/किसी अन्य संबंधित विभाग (जैसा लागू हो) के परामर्श से जानकारी एकत्र करें	पर्यावरण विभाग: परियोजना नोडल विभाग	7 दिनों के भीतर
03	परियोजना स्थल पर संबंधित विभागों से जानकारी एकत्र करें और रिपोर्टिंग तिमाही के अगले माह की 7वीं तारीख से पहले परियोजना नोडल विभाग को अपशिष्ट डेटा प्रदान करें।	मानव संसाधन/ सेवाएं विभाग	
04	एक्सेल शीट में अपशिष्ट डेटा कॉर्पोरेट नोडल विभाग को प्रदान करें।	पर्यावरण विभाग: परियोजना नोडल विभाग	रिपोर्टिंग तिमाही के अगले माह की 15वीं तारीख को/उससे पहले
05	संबंधित परियोजना नोडल अधिकारियों से प्राप्त डेटा एकत्र करें और उसका विश्लेषण करें, त्रैमासिक आधार पर डेटा का प्रबंधन करें, और संबंधित विभाग: प्राधिकरण को अपशिष्ट डेटा का मूल्यांकन करें।	कॉर्पोरेट पर्यावरण विभाग: टीएचडीसीआईएल-नोडल विभाग	त्रैमासिक/वार्षिक (वित्त वर्ष) आधार पर